पुष्ठ सं०
2.31

परियोजना का नाम :– स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्वारना नदी, झाझरा से उप खनिज चुगान हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन किया जायेगा।

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन्)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
झाझरा रेंज
देहरादून वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

प्रपत्र सं० 2-32

परियोजना का नाम :– स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि (स्वारना नदी, झाझरा रेंज, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून 23.75 है0) में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थिन नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आबॅटित नहीं की गई है।

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

प्रभागीय वन अधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
झाझरा रेंज
देहरादून वन प्रभाग

प्रपत्र सं० 2-33

प्रपत्र संख्या–31

परियोजना का नामः– स्वारना नदी झाझरा में उपखनिज का चुगान कार्य

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुचाये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रखरखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा।

(सुभाष चन्द्र)
हस्ताक्षर
प्रयोक्ता एजेन्सी।

प्रपत्र सं०
2.34

परियोजना का नाम :– स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

हस्ताक्षर

(मुद्राक-पत्र)

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तरांचल वन विकास निगम
खनन प्रभाग, देहरादून

परियोजना का नामः– स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान परियोजना से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	राजावाला	600	150
2	रामपुर भाऊवाला	540	135
3	रामपुर कला	600	150

हस्ताक्षर

(मनमोहन लाल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रपत्र म०
2.36

एन०पी०वी० देयता से छूट का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 28 मार्च 2008 को जारी आदेशानुसार वन क्षेत्र के अन्तर्गत वनों के संरक्षण एवम बचाव हेतु विभागीय/राजकीय उपक्रम द्वारा कराये जा रहे उपखनिज चुगान कार्य एन०पी०वी० देयता से मुक्त रखा गया है, उक्त से सम्बन्धित आदेश की प्रति सलंग्न है।

(सुभाष चन्द्र)
प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून।

वन भूमि से बहने वाली नदियों से बोल्डर, बजरी, रेता आदि उप-खनिजों के चुगान हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तरांचल वन विकास निगम को एन0पी0वी0 की देयता से छूट के सम्बन्ध में दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को [illegible] की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।-

[illegible] वित्त, न्याय विभाग तथा वन विभाग के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री आर0डी0पालीवाल	सचिव, न्याय
2. डा0 एम0सी0जोशी	अपर सचिव, वित्त
3. डा0 आर0बी0एस0रावत	प्रमुख वन संरक्षक
4. श्री के0एल0आर्य	प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम
5. श्री एस0सी0पंत	महा प्रबन्धक, उत्पादन
6. श्री विजय कुमार	क्षेत्रीय प्रबन्धक, टिहरी क्षेत्र
7. श्री के0विद्यासागर	उप वन संरक्षक, मुख्यालय
8. श्री जी0सी0पंत	प्र0व0वि0प्र0(मुख्यालय)

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28 मार्च, 2008 तथा आदेश दिनांक 09 मई, 2008 द्वारा वन भूमि से बहने वाली नदियों से बोल्डर / सिल्ट के चुगान हेतु कतिपय शर्तों के तहत एन0पी0वी0 की देयता में छूट प्रदान की गई है। मा0 न्यायालय के आदेश में मुख्य शर्ते यह है कि उप-खनिजों के चुगान से प्राप्त सेल प्रोसीड्स (Sale Proceeds) को वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु व्यय किया जायेगा तथा उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए किसी अन्य को कोई खनन पट्टा न तो स्वीकृत किया जायेगा और न ही अनुमोदित किया जायेगा।

उक्त क्रम में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. रॉयल्टी सहित समस्त देनदारियां निकालने के पश्चात उप-खनिज के चुगान से प्राप्त सेल प्रोसीड्स (Sale Proceeds) को वन संरक्षण एवं संवर्द्धन में ही प्रयोग किया जायेगा तथा समस्त देनदारियां वहन करने के पश्चात प्राप्त धनराशि वन जमा (Forest Deposit) में डाला जाय।

(कार्यवाही- वन विभाग)

2. उक्त सेल प्रोसीड्स (Sale Proceeds) का वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में उपयोग करने हेतु वार्षिक योजना वन विभाग द्वारा बनाई जायेगी। उक्त [illegible] में राज्य सरकार के स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शासन

उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधित्व सहित एक समिति गठित की जायेगी। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड उक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(कार्यवाही- वन विभाग)

3. पूरी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्यक्षेत्र में अन्य विभागों से ओवरलैपिंग (Overlapping) की स्थिति न हो।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करने तथा निर्णय हेतु प्रकरण उच्च स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु अपर मुख्य सचिव के निर्देश एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-3460/X-2-2008
देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2008

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन प्रभाग, देहरादून

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
3. अपर सचिव, भूमि हस्तान्तरण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन.
4. बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागी गण.

आज्ञा से,

(सुब्रत विश्वास)
सचिव

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

I.A. Nos. 826 IN 566 WITH 955 IN 566, 958, 985, 1001-1001A, 1013-14, 1016-1018, 1019, 1046, 1047, 1135-1136, 116[illegible] 1180-1181, 1182-1183, 1196, 1208-1209, 1222-1223, 1224-122[illegible] 1229, 1233 IN 1135-1136, 1248-1249, 1253, 1301-1302, 1303-130[illegible] 1312, 1313, 1314, 1318, 1319 IN 1137, 1325, 1364, 1365-136[illegible] 1370-1370A, 1371, 1384, 1385-1386, 1387, 1434, 1435-1437, 143[illegible] 1441 WITH 1634, 1475-1476, 1513, 1573, 1639 IN 1135-1136 IN I.A [illegible] 566, 1664, 1665, 1671, 1676, 1707, 1721, 1779 IN 1164 IN 566 1785-1786 IN I.A. NO. 1441, 1980-1981, 1993, 2013, 2074-2076 2077-2078 IN 1441 & 2098 IN 1233 IN 1135-1136, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150 & 2153-2154 IN I.A. 566 IN W.P.(C) NO. 202/1995

T.N. Godavarman Thirumulpad

...Petitioners

Versus

Union of India & Ors.

...Respondents

O R D E R

On 28th March, 2008, we had passed an order regarding payment of Net Present Value (NPV) accepting the recommendations made by CEC which were more or less acceptable to MoEF. In that order we had also indicated that exemptions from payment of NPV have to be granted in respect of certain categories. However, it is brought to our notice that certain typographical mistakes had crept in that order as to categories to which such exemptions are to [illegible]. Therefore, we direct that as regards exemp[illegible]

... that part of that order reading "We are of the ... (x) construction of the transmission lines" on pages ... 11 shall stand substituted with the following :-

Category	CEC
(i) Schools (ii) Hospitals (iii) Children's play ground of non commercial nature (iv) Community centres in rural areas (v) Over-head tanks (vi) Village tanks, (vii) Laying of underground drinking water pipeline upto 4 diameter and (viii) Electricity distribution line upto 22 KV in rural areas.	Full exemption upto 1 ha. of forest land provided : (a) no felling of trees is involved; (b) alternate forest land is not available; (c) the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and (d) the area is outside National Park/Sanctuary
Relocation of villages from the National Parks/Sanctuary to alternate forest ...	Full Exemption
Collection of boulders/silts from ... belts in the for...	Full exemption provided;- (a) area is outside National Park/Sanctuary; no mining lease is approved/signed in respect of this area;

	(c) the works including the sale of boulders/sill are carried out departmentally or through Government undertaking or through the Economic Development Committee or Joint Forest Management Committee; (d) the activity is necessary for conservation and protection of forests; and (e) the sale proceeds are used for protection/conservation of forests
Laying of underground optical fibre cable	Full exemption provided : (a) no felling of trees is involved; and (b) areas falls outside National Park/Sanctuary
Pre-1980 regularisation of encroachments and conversion of forest villages into revenue villages	Full exemption provided these are strictly in accordance with MoEF's Guidelines dated 18.9.1990.
Underground mining	50% of the NPV of the entire area

The above recommendations for exemptions are accepted. If, in any case, exemption is required by nature of the peculiar circumstances of the case, the same would be decided as and when necessary on a case to case basis.

.....CJI
(K.G. BALAKRISHNAN)

.....
(DR. ARIJIT PASAYAT)

.....
(S.H. KAPADIA)

New Delhi;
May 9, 2008.

छायाप्रति प्रमाणित
भारतीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन प्रभाग, देहरादून

प्रप प्रपत्र सं० 2.37

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– स्वास्ना नदी क्षेत्र में उपखनिज चुगान कार्य

प्रमाणित किया जाता है यदि माननीय उच्चत्तम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी की दरों में वृद्वि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(सुभाष चन्द्र)
प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून।

पृष्ठ सं० 2.40

झाझरा रेंन्ज के डूँगा क०स०12 में वन विकाश निगम द्वारा सीमांकन पिलरों का निर्माण का प्राक्कलन।
रेन्ज–झाझरा, प्रभाग–देहरादून वन प्रभाग, देहरादून, वर्ष–2013–14

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	नपत मी० में			मात्रा	दर	धनराशि
			ल०	चौ०	ऊँ			
1	आर०सी०सी० पिलरो का निर्माण 1:2:4 सीमेंट मसाले में लो०नि०वि० की मद सं० – 62351 1–5–3	100	0.75	0.30	1.50	33.75	5147.60	173731.50
2	पिलरों हेतु बुनियाद खुदान लो०नि०वि० की मद सं० – 62216 1–2–6–1	100	0.75	0.3	0.75	16.875	60.00	1012.50
3	आर०सी०सी० पिलरो के निर्माण हेतु सरिया कय करना लो०नि०वि० की मद सं० – 62396 1–5–22–1		1 cubic meter ---- 80 kg			33.75 c.m.	59.20/kg	159840.00
4	संशोधन	100						
5	पिलरो का कार्य स्थल तक ढुलान	100				100	L.S.	4000.00
6	पिलरो को गाडना	100				100	10.00 per pillar	1000.00
7	पिलरों में रंग करना व नम्बर लिखना	100				100	70.00 per pillar	7000.00
8	अन्य आकस्मिक व्यय (औजार मरम्मत, रस्सी, चूना आदि कय करना)						L.S.	4000.00
							Total	350584.00
							Or Say	350000.00

प्राक्कलन
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
देहरादून वन प्रभाग

प्प्र०
2-41

परियोजना का नाम— स्वारना नदी, झाझरा से उपखनिज चुगान

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के सीमाकंन हेतु आर0सी0सी0 पिलरो को लगाने पर किये जाने वाले व्यय का वहन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
15/15 ए डोभालवाला, देहरादून

प्रपत्र म० 2.42

परियोजना का नाम :– स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त आस–पास क्षेत्र में वृक्षारोपण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास व उससे लगे हुए रिक्त क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा जिसकी योजना प्रस्ताव में संलग्न है। इसके अतिरिक्त आस–पास कोई रिक्त क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

उप वन संरक्षक
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
झाझरा रा़जि
देहरादून वन प्रभाग

फैक्ट शीट

1. परियोजना का नामः जनपद देहरादून **स्वारना नदी, झाझरा** से उपखनिज चुगान परियोजना

2. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)

संरक्षित वन भूमि	–	23.75 हे0
सिविल एवं सोयम वन भूमि	–	
वन पंचायल भूमि	–	
निजी भूमि	–	
योग	–	23.75 है0

3. प्रस्तावक का नाम –प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक खनन उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून

4. वन प्रभाग का नाम– देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

5. प्रस्ताव वाइडिंग किया गया है – हाँ/नही

6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है – हॉ/नहीं

7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग–1,2 व 3 के सभी

8. बिन्दुओं की सूचना भरी गई है – हॉ/नही

9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है – हॉ/नही

10. प्रभावित होंने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण–पत्र संलग्न है– हॉ/नही

11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण– पत्र संलग्न है – प्रभावित नही है।

12. प्रभावित होने वाल वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावत विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है– प्रभावित नही है।

13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है– हॉ/नही

14. क्या वृक्षों की सख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है– शून्य

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण –पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है– हॉ/नही

16. क्या मानचित्र में में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है– हॉ/नही

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षोंरोपण योजना सलग्न है– हॉ/नही

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के सरक्षण कीप दृष्टि से महत्वपूर्ण है– हॉ/नही

19. प्रसावित क्षेत्र हाथी कोरिडोर का हिस्सा है– हॉ/नही
यदि हॉ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है हॉ/नही

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों मे सही भरा गया है– हॉ/नही

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्ण निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है –
(यदि पूर्व नियमित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की सलग्न करें)

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग– अलग रगों से भरा गया है – हाँ / ~~नहीं~~

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र दर दर्शाया गया है– हाँ / नही

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन(सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन हुआ है– हाँ / नही

25. यदि उल्लघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्वकी गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

26. सडक निर्माण हेतु तलाशी गई सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये है – हाँ / नही

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट सलग्न किया गया जाय)

28. लगत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है।

30. मलवे में निस्तार की योजना मय मानचित्र सहित सलग्न है – हॉ / नही

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सलग्न है। हॉ / नही

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तो का प्रमांण सलग्न है। हॉ / ~~नही~~

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में सलग्न है–
यदि छाया प्रतियाँ सलग्न की गई है तो क्या ये सत्यापित है– हॉ / ~~नही~~

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है– हाँ / नही

34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृत सलग्न है– हाँ / नही

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अकिंत है– हाँ / ~~नहीं~~

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ / ~~नही~~

प्रमाणित किया गया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्स शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं

वन क्षेत्राधिकारी
लाखरा धाबि

(आर०एम०कैड़ा)
प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम